## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 20/2016 (अं.धारा 177 रा.का.अ.)

राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू

बनाम

1. नेमीचन्द पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी मीलों का बास तन बडवासी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

ऐडवोकेट आवेदक :— राज पैरोकार नायब तहसीलदार नवलगढ
ऐडवोकेट अनावेदकगण :— श्री अशोक कुमार जांगिड

### आदेश

दिनांक 17.05.2019

आवेदक द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम मोहब्बतसर तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि ख.न. 625/56 रकबा 0.06 है0 किस्म बारानी द्वितीय की खातेदारी नेमीचन्द पुत्र कुरडाराम जाति जाट सा. मीलों का बास तन बडवासी के नाम दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त आराजी अनावेदक की खातेदारी काश्त की कृषि भूमि रही है जो अनावेदक व उनके पूर्वजों को शरह लगान के बदले काश्त करने हेतु खातेदारी में दी गई थी। जिसको काश्त के अलावा किसी भी दीगर कार्य हेतु उपयोग में लेने से पूर्व भूमि को नियमानुसार किस्म परिवर्तन करवाकर ही काम लिया जा सकता है अन्यथा उक्त भूमि को कृषि के अलावा किसी अकृषिक प्रयोजनार्थ प्रयोग में नही लिया जा सकता है। अनावेदक ने राज0 सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ख.न. 625/56 रकबा 0.06 है0 भूमि को कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ काम में लेते हुये प्लाटिंग व ग्रेवल सडक डाल करके उक्त भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है जिसकी किसी भी प्रकार की कोई स्वीकृति राजस्थान सरकार से प्राप्त नही की है। इस प्रकार किस्म परिर्वर्तित कर राज्य सरकार की शर्तो का खुला उलंघन किया गया है जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकार नही है। ऐसी हालत में अनावेदक को उपरोक्त वर्णित भूमि की खातेदारी से बेदखल कर भूमि को राज्य सरकार के हक में र्दकिया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। इसलिये आवेदक को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। वाद में वर्णित भूमि को कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ काम में लेने पर रा.भू.रा. अधि. 1956 की धारा 90क के अंतर्गत प्रकरण सं0 03/2014 राजस्थान सरकार बनाम नेमीचन्द पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी मीलों का बास तन बडवासी के नाम दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। जबाब नोटिस हेतु बार बारा समय दिये जाने के बावजूद भी जबाब नोटिस पेश नही किया गया तथा न ही प्लाटिंग को हटा कर भूमि को कृषि योग्य बनाया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वाके ग्राम मोहबतसर की सरहद में स्थित भूमि ख.न. 625/56/0.06 है0 किस्म बारानी द्वितीय की खातेदारी नेमीचन्द पुत्र कुरडाराम जाति जाट सा. मीलों का बास तन बडवासी तहसील नवलगढ के नाम दर्ज रिकार्ड की खातेदारी भूमि से बेदखल कर राजस्थान सरकार के हक में दर्ज किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनवेदक की गई। अनावेदक की और से वकील श्री अशोक कुमार जांगिड का वकालतनामा तथा जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया जाकर वर्णित किया गया कि भूमि ख.न. 625/56/0.06 है0 की खातेदी अनावेदक के नाम दर्ज है जिसमें मौके पर कोई कच्चा या पक्का

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ.

Scanned by CamScanner

निर्माण नही कर रखा है। मौके पर पूर्ण रूप से खाली है। मूल खसरा नम्बर से विभाजन होने पर आने जाने तु जो रास्ता छोडा गया था वह सभी खातेदारो द्वारा रास्ता छोड कर विभाजन किया गया उक्त रास्ता कच्चा व उबडखाबड था जिस को दुरूस्त कर उसमे मलबा डाला गया है जिससे आसानी आ जा सकें इसके अलावा भूमि पूर्ण रूप से खाली है इस संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाई जा सकती है। उपरोक्त भूमि ख.न. 625/56/0.06 है0 किस्म बारानी अनावेदक की खातेदारी काश्त की भूमि है जिसमें किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य या प्लॉटिंग नही है और न ही कृषि के अलावा अन्य प्रयोजन में ली जा रही है। इसलिये आवेदन पत्र खारिज होने योग्य है।

जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार नवलगढ से ली गई मौका रिपोर्ट में वर्णित किया गया है कि ग्राम मोहब्बतसर की भूमि ख.न. 625/56/0.06 है0 में खातेदार द्वारा ग्रेवल सडक को हटा लिया गया है तथा प्लॉटों के निशान भी खत्म क़र दिये हैं मौके पर भूमि पूर्णतया खाली है।

अनावेदक द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मे अकृषि प्रयोजनार्थ किये गये कार्य ग्रेवल सडक को हटा लिया जाना तथा प्लॉटों के निशान आदि समाप्त किया जा चुका है तथा भूमि को अकृषि उपयोग में नही ली जा रही है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अनावेदक द्वारा यदि वादग्रस्त आराजी पर बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाने पर आवेदक पुनः उपरोक्त धारा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में स्वतंत्र होंगे। प्रार्थना पत्र नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 17.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ